


02.12.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र मे आवश्यक कार्यवाही नही कि जा रही है वादी अधिवक्ता को पूर्व पेशी 25.01.2024 को नोट करवाय गया 100 कोष्ट पर अवसर दिया गया था। वादी अधिवक्ता को बार बार नोट करवाया गया। उपस्थित नही आए। वादी व अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

